



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर
जिला नारायणपुर

दूरभाष (कार्यालय) 07781-252222

E-MailID - sdmnarayanpur@gmail.com

राजस्व प्रकरण क्रमांक /202501170400010/अ-62/2024-25

प्ररूप - ग
(नियम 3(2) देखिये)
अनुज्ञा

प्रति,

आवेदक श्री महावीर कावड़े पिता श्री रायसिंह जाति गोंड
निवासी ग्राम एड़का प.ह.न. 06
तहसील नारायणपुर, जिला नारायणपुर (छ0ग0)

विषय:- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुज्ञा।

विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन इस कार्यालय को दिनांक 23.12.2024 को प्राप्त हुआ है। तद्संबंध में राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु दिनांक 23.12.2024 को ज्ञापन जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण पश्चात उक्त निरीक्षण का प्रतिवेदन दिनांक 17.01.2025 को प्राप्त हुआ, आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया उक्त तथ्यों के अनुसार स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:- साल-28, साजा-04, बीजा-01, तेन्दू-02, कसही-01, महूआ-01 कुल 37 वृक्ष।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि भूमि खसरा क्रमांक 70/2 रकबा क्रमशः 1.300 हे. भूमि पर ग्राम एड़का, प.ह.न. 06 तहसील नारायणपुर जिला नारायणपुर में साल-28, साजा-04, बीजा-01, तेन्दू-02, कसही-01, महूआ-01 कुल 37 वृक्ष स्थित हैं। जिसमें शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या सागौन 00 एवं परिपक्व वृक्षों की प्रजाति और संख्या साल-28, साजा-04, बीजा-01, कसही-01 कुल 34 वृक्ष स्थित है। कृषि/व्यवसाय के हित में सागौन साल-28, साजा-04, बीजा-01, कसही-01 कुल 34 वृक्षों में से 10 वृक्षों को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतएव वृक्ष कटाई के आवेदन पर 10 वृक्षों को काटे जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

अनुज्ञा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
अनुभाग नारायणपुर
जिला नारायणपुर
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
नारायणपुर

पृ० क्रमोंक/373/ अ०वि०अ०(रा०)/वृक्ष कटाई अनुज्ञा/प्रवाचक-1/2025
प्रतिलिपि:-

नारायणपुर दिनांक ०६/०२/२०२५

1. कलेक्टर जिला नारायणपुर, को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल नारायणपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार नारायणपुर को सूचनार्थ एवं वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।




अनुविभागीय अधिकारी(रा०)
अनुभाग नारायणपुर
जिला नारायणपुर
अनुविभागीय अधिकारी (ब)
नारायणपुर